विधायी कार्य/परम अग्रता
अति तत्काल

स्थापना शाखा - II
डायरी क्रमांक 428
दिनांक 25/8/15

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

सेवा में

1. निदेशक, कृषि हरियाणा, पंचकूला।
2. महानिदेशक, उद्यान हरियाणा, पंचकुला।
3. मुख्य प्रशासक,
   हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला।
4. प्रबन्ध निदेशक,
   हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, पंचकुला।
5. प्रबन्ध निदेशक,
   हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, पंचकुला।
6. प्रबन्ध निदेशक,
   हरियाणा कृषि उद्योग निगम, पंचकुला।
7. प्रबन्ध निदेशक,
   हरियाणा राज्य भण्डारण निगम, पंचकुला।
8. निदेशक,
   हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, पंचकुला।
9. रजिस्ट्रार,
   चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविघालय,हिसार।

यादी कमांक 2564–कृषि–II(2)–2015/14926
चण्डीगढ़, दिनांक 21-08-2015

विषयः–1 हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए सरकारी विधायी कार्यकम की तैयारी,

2 हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन विधान सभा कार्य को तुरन्त निपटाने बारे,

3 हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना।

4 हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे।

उपरोक्त विषयों पर अधीक्षक संसदीय कार्य, कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र कमांक 1/10/2009–1 स0का0, 1/10/2009–1 स0का0, 1/6/2009–1 स0का0 तथा कमांक 1/9/2009–1 स0का0 दिनांक 20.08.2015 की प्रतियां आपको पूर्ण अनुपालना हेतु भेजी जाती हैं।

अधीक्षक,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

For strict compliance

विधायी कार्य/परम अग्रता

2584
21-8-15

विषय:- हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्यक्रम की तैयारी ।

DHANPAT SINGH, IAS
Addl. CS Agri
20.08.15

-:-:-:-

कृपया सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 02 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे बुलाया गया है । उसकी तैयारी के सिलसिले में वे कृपया अपने अधीन सभी विभागों से सम्बन्धित विधायी कार्य के बारे में तुरन्त जांच करवा लें तथा जिस भी नये अधिनयम की आवश्यकता हो या जिस किसी अधिनियम में संशोधन करना हो, उसके प्रस्ताव को तुरन्त अंतिम रूप दे और बिना किसी विलम्ब के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये । उनसे यह भी अनुरोध है कि इस सत्र के दौरान उनके विभागों से सम्बन्धित जो भी सूचनायें व अन्य कागज पत्र विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने है उन पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये और इस बारे में संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को दिनांक 25 अगस्त, 2015 तक अवश्यमेव सूचित किया जाये । यह सूचना समय पर न आने पर यह समझ लिया जायेगा कि उन द्वारा कोई सूचना नही दी जानी है और सरकारी विधायी कार्यक्रम तद्नुसार तैयार कर लिया जायेगा । बाद में यदि किसी स्तर पर यह ध्यान में आया कि विधान सभा को भेजी जाने वाली सूचना सचिव, हरियाणा विधान सभा को या इस विभाग को समय पर नहीं भेजी गई तो उसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव की होगी ।

CA/HSAMB
MD/HSWC
MD/HAIC
Dir./Agri.
MD/HLRDC
DG/Horti.
MD/HSDC
Dir/HSSC
VC/HAU
US/Agri.

21/8/15

No. 8710 ACS (Agri.)
Dated 20/8/15

3. उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित बिलों/विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कागजों की 6-6 प्रतियां Bare Act सहित राजनैतिक शाखा को विशेष वाहक द्वारा उपरोक्त तिथि तक अवश्य भिजवा दी जाये ताकि सरकारी विधायी कार्यक्रम तैयार किया जा सके । बिलों के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचना अवश्य दी जाये:-

i. बिल का टाईटल ।

ii. बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का संक्षिप्त विवरण । (यह सूचना देनी अत्यावश्यक है)

iii. क्या बिल मनी बिल है या नहीं ?

iv. क्या बिल राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर तैयार किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो अध्यादेश का ठीक टाईटल बताया जाये व अध्यादेश की प्रतियां भी साथ लगाई जायें ।

v. क्या बिल का प्रारूप विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है, या नहीं, यदि नहीं तो प्रारूप तैयार किये जाने में कितना समय लगेगा ?

vi. यदि बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है तो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक ज्ञापन की प्रतियां भी भेजी जायें।

जारी...2

4. हरियाणा विधान सभा विधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जाना होता है । यदि किसी कारण 15 दिन का नोटिस या विधेयक को विधान सभा में कम से कम 15 दिन पहले भेजना सम्भव न हो तो इसके कारण विशेष रूप में विधान सभा को विधेयक भेजते समय स्पष्ट किये जायें । यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे हालात में विधेयक विधान सभा सचिवालय को कम से कम 5 दिन पूर्व अवश्य भेज दिये जायें ताकि विधान सभा सचिवालय द्वारा विधेयक, सदस्यों के बीच, समय रहते परिचालित किया जा सके ।

5. राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेशों की 315-315 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी में) एक-एक प्रमाणित प्रति सहित, सदन में प्रस्तुत करने हेतु, यदि पहले न भेजी गई हों तो, सचिव, हरियाणा विधान सभा को तुरन्त भिजवा दी जायें । अध्यादेश की प्रतियां अध्यादेश के जारी होने पर तुरन्त ही सचिव, हरियाणा विधान सभा को भेजी जानी होती है । अध्यादेश से सम्बन्धित मूल अधिनियम (Bare Act) की 150-150 प्रतियां विधान सभा को अवश्य भेजी जायें ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

<<0>>

For strict compliance. [signature]
DHANPAT SINGH, IAS
Addl. CS Agri
20-08-15

विधान सभा कार्य/

परम अग्रता

विषय:- हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन-विधान सभा कार्य को तुरन्त निपटाने बारे ।

US, Agri.

-:-:-

कृपया सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 02 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे आरम्भ होगा । अत: इससे सम्बन्धित कार्य प्रत्येक स्तर पर परम अग्रता से किया जाना आवश्यक है । अत: उनसे अनुरोध किया जाता है कि :-

1) वे विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि विधान सभा प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के उत्तर विधान सभा में समय पर पहुंच जायें । इस सम्बन्ध में उनका ध्यान सचिवालय अनुदेश पुस्तिका प्रथम संस्करण 1989 के पैराग्राफ 346(सी) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देय तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने होते है । इस का कड़ाई से पालन किया जाये । यदि किसी कारणवश उत्तर तैयार करने में देरी हो तो ऐसे हालात में कम से कम 24 घन्टे पूर्व प्रश्न के उत्तर की प्रतियां हरियाणा विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दी जायें । कई केसों में यह देखने में आया है कि प्रश्नावधि जिसके दौरान उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना होता है प्रात: 10.00/2.00 बजे सांय आरम्भ होता है और प्रश्न के उत्तर की प्रतियां शाखा में क्रमश: प्रात: 9.15/1.45 बजे सायं उपलब्ध कराई जाती है । इससे सरकार के लिये बड़ी embarrassing स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उनसे अनुरोध किया जाता है कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षित प्रतियां उन प्रश्नों के उत्तर देने की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) में सायं 2.30 बजे तक हर हालत में उपलब्ध करवा दी जाया करें और यदि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव न हो तो उसके कारण लिखित रूप में एक दिन पहले चार बजे तक संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को अवश्य सूचित कर दिये जाया करें । किसी भी प्रकार की देरी के लिये प्रशासकीय सचिव की निजि जिम्मेदारी होगी ।

2) विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा 'नोट फोर दी पैड' में दी गई सूचना हर प्रकार से ठीक होनी चाहिये । उत्तर के साथ 'इन्डैक्स आफ इन्फारमेशन' भी लगाया जाये । यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों का निजि उत्तरदायित्व होगा । उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि विधान सभा तारांकित प्रश्नों के उत्तर की 165-165 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी) तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर की 110-110 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) विधान सभा को भेजी जानी है ।

3) यदि सचिव, हरियाणा विधान सभा द्वारा भेजा गया प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस विभाग को भेज दिया जाता है जिस से वह सम्बन्ध नही रखता तो उस विभाग के प्रशासकीय सचिव की यह जिम्मेवारी है कि वह उसे सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय सचिव को भिजवायें व इसकी एक प्रति सूचनार्थ सचिव, हरियाणा विधान सभा, मुख्य मंत्री सचिवालय, तथा संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को भी भेजें । ऐसे प्रश्न किसी भी दशा में सचिव, हरियाणा विधान सभा को

जारी....../2

वापिस न भेजे जायें । सभी प्रशासकीय सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित अधिवेशन के दौरान उठाये गये मुद्दे नोट करें व उसी दिन उस बारे अपनी टिप्पणी प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महोदय को भिजवायें ।

4) प्रत्येक विभाग में जिस अधिकारी को विधान सभा के प्रश्नों, ध्यानाकर्षण नोटिसों आदि से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया हो, उसके नाम तथा पद की सूचना (कार्यालय तथा आवास टेलीफोन नम्बर सहित) संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) व मुख्य मंत्री सचिवालय को विशेष वाहक द्वारा तत्काल भिजवाना भी सुनिश्चित किया जाये ।

5) विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, (सिवाय अध्यादेशों के) की 275-275 प्रतियें (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक-एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा सचिवालय को समय पर भिजवा दें । अध्यादेशों व बिलों की 315-315 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक-एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा को समय पर भिजवा दें । सम्बन्धित अधिनियम (Bare Act) की 150 प्रतियां बिल के साथ विधान सभा को भेजी जायें व सभी दस्तावेजों की 15 प्रतियां मुख्य मंत्री सचिवालय, एक-एक प्रति संसदीय कार्य मंत्री व मुख्य सचिव के निजी सचिव तथा 6 प्रतियां सम्बन्धित अधिनियम (Bare Act) की प्रतियों सहित संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जायें । इसी प्रकार सभी दस्तावेजों, सरकारी प्रस्ताव/विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ ध्यानाकर्षण नोटिस आदि के उत्तरों की प्रतियां समय पर विधान सभा में भिजवा दी जायें ताकि यह विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा के सदस्यों को समय रहते उपलब्ध कराई जा सकें ।

6) आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों का कृपया दृढ़ता से पालन किया जाये ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015
पृ0 क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

<<0>>

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015

For strict compliance

DHANPAT SINGH,IAS
Addl. CS Agri
20.08.15

US, Agri.

SA-II 21/8/15

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

-:-:-

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की और दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

जारी....2

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: कमांक 1/6/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

Please ensure strict compliance

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

DHANPAT SINGH,IAS
Addl. CS Agri
20.08.15

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डो/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अत: अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0 दिनांक 20 अगस्त, 2015